

चुनी हुई सरकार बंधी हो अपने वचन पत्र से

राजेश बादल

लोकसभा चुनाव-2024 की प्रक्रिया लगभग पूरी होने की है। चंद रोज बाद नई सरकार की शब्द सभी साक हो जाएगी। हम आशा कर सकते हैं कि आलों परवाड़े तक वह अपना कामकाज संभाल लेंगी लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इस नई निर्वाचित सरकार के सामने उसकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं? जो भी राजनीतिक दल या गठबंधन सरकार बनाए, उनके लिए या तो चुनाव पूर्वी घोषित वचन पत्र/घोषणा पत्र ही काम की शुरुआत का आधार होना चाहिए। गठबंधन के हुक्मत में आलों की स्थिति में साझा कार्य योजना के आधार पर सरकारी विभागों की प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए। यह अदर्श स्थिति मारी जाए सकती है पर, अनुभव कहता है कि व्यावाहरिक रूप से ऐसा नहीं होता। कुछ बरस पहले एक सर्वेक्षण में पाया गया था कि सिवायसी पार्टियां निर्वचन से पहले अलाप के सामने जिन वादों का पुनर्नाम प्रस्तुत करती हैं, वे सामना में आने के बाद काफी हद तक हाशिए पर चले जाते हैं और हुक्मत के चौधरियों के अपने हित प्रधान हो जाते हैं। जिता के सामने पेश किए गए वचन पत्र की बांधकार अगले चुनाव तक के लिए अटारी पर रख दिया जाता है। जब अगला चुनाव आता है तो रंग-रोगन करके, उसकी धूल ज्ञाड़-पॉंड कर दोबारा मतदाताओं के सामने परोस दिया जाता। सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष भी निकला था कि घोषणा पत्र या वचन पत्र के बीच चुनाव से पहले लोगों को लुभाने का जरिया बनकर रह गए। उनके अंदर जो बातें छिपे हुए पैराशूट एंजेंट्स अचानक सियासी आसान से गिरने लगते हैं। इस उदास यह हरकत लोगों की मूल भावना के विपरीत है। यह मतदाताओं को अधिकारित मानते रहते हैं और उन्हें सिर्फ़ बोट उगलाने वाली मरीन समझने के कारण होती है। यह दुर्भाग्यरूप है कि जब से सियासत पेश की है तो राजनीतिक दल सांचने लगे हैं कि प्रत्येक विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के बोटों के स्वयंभू ठेकेदारों को सधाना ही पर्याप्त है। चुने हुए नुमाइंडे मतदाताओं के हित में काम न भी करें तो भी क्या नुकसान होने वाला है। इसलिए जीतने के बाद उनकी सबसे पहली प्राथमिकताएं हर राजनेता की हो जाती हैं। एक-निवेश किए गए पैसे की मुफ्ता निकलना तथा तीन अलग-अलग लड़ रहे हैं। ये जंजाब का मुकाबला इसलिए भी ज्यादा रोचक हो गया है, कल तक कमल को खिलने से रोकने के लिए पंजा भिड़ाते हो रहे दिग्जंग हाथ इस बार कमल खिलने की कोशिश कर रहे हैं।

देश की सबसे ज्यादा उपजाऊ पंजाब की मारी को ही माना जाता है। इस उपजाऊ जमीन पर हो रहे पंजाब के असर डालने की कोशिश विदेशों में रहे रहे खालिसानी उग्रवादी तक कर रहे हैं। खबरें यहां तक हैं कि भारत को तोड़ने की कोशिश में विदेशों से जुटे अलगावावादी तत्व एक खास दल को परोक्ष सहयोग दे रहे हैं। खुफिया ब्लॉग रह-हरकर इस सिलसिले में चैताता भी रहता है।

यह जानकारी के लिए एक वार्ता की बाँधी है कि एक बारस से ज्यादा वार्ता की बाँधी है कि वचन पत्र के कौन से वादे पहले साल में पूरे किए जाएंगे और कौन से दूसरे, तीसरे, चौथे तथा पांचवें साल में पूरे किए जाएंगे। हर साल संसद में सरकार को एक दस्तावेज पत्र पटल पर पेश करना चाहिए। इस दस्तावेज पत्र में पूरे किए गए वादों की ताजा स्थिति की जानकारी दी जानी चाहिए। इसे अपने को कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा मानना है कि पार्टियों को अपना वचन पत्र स्वायत्त पेपर पर लाए जाएं? पैसे के जोर को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मौजूदा स्थितियों में लोकसभा चुनाव में कम-से-कम चालीस करोड़ 10 और विधानसभा चुनाव में पञ्चवीस से तीस करोड़ 8 रुपए खर्च होना मामूली बात है। इस कारण संसद या विधानसभाओं में पहुंचने के लिए व्यूनतम योग्यता करोड़पाँच होता है, न कि प्रतीक्षाशाली होना। भारतीय जैसे विकासशील मूल्य की समस्याओं को देखें तो बोरोजारी, भ्राताचार और महंगाई अरसे से बड़ा मुद्दा बनी हुई है। किसी भी दल या विचारात्मक को सरकार चुनी जाए, उसे विशेष रूप से यही कम-से-कम दो साल तक सिफ़र दिलाना चाहिए। यह जानते हैं कि यह प्रक्रिया आसानी से नहीं रुक सकती। तो फिर इस प्रक्रिया में राष्ट्र के बुनियादी मसले कैसे अचल दंज पर लाए जाएं? पैसे के जोर को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मौजूदा स्थितियों में लोकसभा चुनाव में कम-से-कम चालीस करोड़ 10 और विधानसभा चुनाव में पञ्चवीस से तीस करोड़ 8 रुपए खर्च होना मामूली बात है। इस कारण संसद या विधानसभाओं में पहुंचने के लिए व्यूनतम योग्यता करोड़पाँच होता है, न कि प्रतीक्षाशाली होना। भारतीय जैसे विकासशील मूल्य की समस्याओं को देखें तो बोरोजारी, भ्राताचार और महंगाई अरसे से बड़ा मुद्दा बनी हुई है। किसी भी दल या विचारात्मक को सरकार चुनी जाए, उसे विशेष रूप से यही कम-से-कम दो साल तक सिफ़र दिलाना चाहिए। यह जानते हैं कि यह प्रक्रिया आसानी से नहीं रुक सकती। तो फिर इस प्रक्रिया में राष्ट्र के बुनियादी मसले कैसे अचल दंज पर लाए जाएं? पैसे के जोर को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मौजूदा स्थितियों में लोकसभा चुनाव में कम-से-कम चालीस करोड़ 10 और विधानसभा चुनाव में पञ्चवीस से तीस करोड़ 8 रुपए खर्च होना मामूली बात है। इस कारण संसद या विधानसभाओं में पहुंचने के लिए व्यूनतम योग्यता करोड़पाँच होता है, न कि प्रतीक्षाशाली होना। भारतीय जैसे विकासशील मूल्य की समस्याओं को देखें तो बोरोजारी, भ्राताचार और महंगाई अरसे से बड़ा मुद्दा बनी हुई है। किसी भी दल या विचारात्मक को सरकार चुनी जाए, उसे विशेष रूप से यही कम-से-कम दो साल तक सिफ़र दिलाना चाहिए। यह जानते हैं कि यह प्रक्रिया आसानी से नहीं रुक सकती। तो फिर इस प्रक्रिया में राष्ट्र के बुनियादी मसले कैसे अचल दंज पर लाए जाएं? पैसे के जोर को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मौजूदा स्थितियों में लोकसभा चुनाव में कम-से-कम चालीस करोड़ 10 और विधानसभा चुनाव में पञ्चवीस से तीस करोड़ 8 रुपए खर्च होना मामूली बात है। इस कारण संसद या विधानसभाओं में पहुंचने के लिए व्यूनतम योग्यता करोड़पाँच होता है, न कि प्रतीक्षाशाली होना। भारतीय जैसे विकासशील मूल्य की समस्याओं को देखें तो बोरोजारी, भ्राताचार और महंगाई अरसे से बड़ा मुद्दा बनी हुई है। किसी भी दल या विचारात्मक को सरकार चुनी जाए, उसे विशेष रूप से यही कम-से-कम दो साल तक सिफ़र दिलाना चाहिए। यह जानते हैं कि यह प्रक्रिया आसानी से नहीं रुक सकती। तो फिर इस प्रक्रिया में राष्ट्र के बुनियादी मसले कैसे अचल दंज पर लाए जाएं? पैसे के जोर को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मौजूदा स्थितियों में लोकसभा चुनाव में कम-से-कम चालीस करोड़ 10 और विधानसभा चुनाव में पञ्चवीस से तीस करोड़ 8 रुपए खर्च होना मामूली बात है। इस कारण संसद या विधानसभाओं में पहुंचने के लिए व्यूनतम योग्यता करोड़पाँच होता है, न कि प्रतीक्षाशाली होना। भारतीय जैसे विकासशील मूल्य की समस्याओं को देखें तो बोरोजारी, भ्राताचार और महंगाई अरसे से बड़ा मुद्दा बनी हुई है। किसी भी दल या विचारात्मक को सरकार चुनी जाए, उसे विशेष रूप से यही कम-से-कम दो साल तक सिफ़र दिलाना चाहिए। यह जानते हैं कि यह प्रक्रिया आसानी से नहीं रुक सकती। तो फिर इस प्रक्रिया में राष्ट्र के बुनियादी मसले कैसे अचल दंज पर लाए जाएं? पैसे के जोर को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मौजूदा स्थितियों में लोकसभा चुनाव में कम-से-कम चालीस करोड़ 10 और विधानसभा चुनाव में पञ्चवीस से तीस करोड़ 8 रुपए खर्च होना मामूली बात है। इस कारण संसद या विधानसभाओं में पहुंचने के लिए व्यूनतम योग्यता करोड़पाँच होता है, न कि प्रतीक्षाशाली होना। भारतीय जैसे विकासशील मूल्य की समस्याओं को देखें तो बोरोजारी, भ्राताचार और महंगाई अरसे से बड़ा मुद्दा बनी हुई है। किसी भी दल या विचारात्मक को सरकार चुनी जाए, उसे विशेष रूप से यही कम-से-कम दो साल तक सिफ़र दिलाना चाहिए। यह जानते हैं कि यह प्रक्रिया आसानी से नहीं रुक सकती। तो फिर इस प्रक्रिया में राष्ट्र के बुनियादी मसले कैसे अचल दंज पर लाए जाएं? पैसे के जोर को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मौजूदा स्थितियों में लोकसभा चुनाव में कम-से-कम चालीस करोड़ 10 और विधानसभा चुनाव में पञ्चवीस से तीस करोड़ 8 रुपए खर्च होना मामूली बात है। इस कारण संसद या विधानसभाओं में पहुंचने के लिए व्यूनतम योग्यता करोड़पाँच होता है, न कि प्रतीक्षाशाली होना। भारतीय जैसे विकासशील मूल्य की समस्याओं को देखें तो बोरोजारी, भ्राताचार और महंगाई अरसे से बड़ा मुद्दा बनी हुई है। किसी भी दल या विचारात्मक को सरकार चुनी जाए, उसे विशेष रूप से यही कम-से-कम दो साल तक सिफ़र दिलाना चाहिए। यह जानते हैं कि यह प्रक्रिया आसानी से नहीं रुक सकती। तो फिर इस प्रक्रिया में राष्ट्र के बुनियादी मसले कैसे अचल दंज पर लाए जाएं? पैसे के जोर को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मौजूदा स्थितियों में लोकसभा चुनाव में कम-से-कम चालीस करोड़ 10 और विधानसभा चुनाव में पञ्चवीस से तीस करोड़ 8 रुपए खर्च होना मामूली बात है। इस कारण संसद या विधानसभाओं में पहुंचने के लिए व्यूनतम योग्यता करोड़पाँच होता है, न कि प्रतीक्षाशाली होना। भारतीय जैसे विकासशील मूल्य की समस्याओं को देखें तो बोरोजारी, भ्राताचार और महंगाई अरसे से बड़ा मुद्दा बनी हुई है। किसी भी दल या विचारात्मक को सरकार चुनी जाए, उसे विशेष रूप से यही कम-से-कम दो साल तक सिफ़र दिलाना चाहिए। यह जानते हैं कि यह प्रक्रिया आसानी से नहीं रुक सकती। तो फिर इस प्रक्रिया में राष्ट्र के बुनियादी मसले कैसे अचल दंज पर लाए जाएं? पैसे के जोर को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मौजूदा स्थितियों में लोकसभा चुनाव में कम-से-कम चालीस करोड़ 10 और विधानसभा चुनाव में पञ्चवीस से तीस करोड़ 8 रुपए खर्च होना मामूली बात है। इस कारण संसद या विधानसभाओं में पहुंचने के लिए व्यूनतम योग्यता करोड़पाँच होता है, न कि प्रतीक्षाशाली होना। भारतीय ज

अग्निवीर योजना को लेकर राहुल के बयान पर भड़के सिंह

नईदिल्ली। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर अग्निवीर योजना को रद्द करने की उनकी हालिया टिप्पणी के लिए तीखा हमला बोला। राहुल गांधी के इस बयान के बारे में पूछे जाने पर कि अग्निवीर योजना ने सैनिकों को महज मजदूर बना दिया है, जनरल सिंह (सेवानिवृत्ति) ने कहा, मैं राहुल गांधी को सलाह देना चाहता हूं कि उन्हें पहले सेना में काम करना चाहिए और फिर अग्निवीर योजना के बारे में कोई बयान देना चाहिए। अगर वह सेना को नहीं जानते तो कृष्ण भी कहना ठीक नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी ने केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व बाली सरकार पर भारत के सैनिकों को मजबूरी में बदलने का आरोप लगाया था और 4 जून को सत्ता में आने के बाद अग्निवीर योजना को खस्त करने का चाचा किया था। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक सर्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि हरियाणा और अन्य राज्यों के युवा भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं।

इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी : लालू यादव



पटना। लोकसभा चुनाव 2024 को पक्ष और विपक्ष में आरोप का दौर जारी है। रिजल्ट 4 जून को आ रहा है। बिहार 7 चरण में मतदान हो रहा है और 6 फेस का मतदान हो गया और अंतिम चरण 1 जून को है। राष्ट्रीय जनता लालू (राजा) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया है। लालू, प्रसाद यादव ने पटना में कहा कि हमें जल्द ही नीतीजे पर चल जाएंगे। पीएम मोदी अब चले जाएंगे। एसडीए को सरकार जाएंगे और इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। पीएम मोदी कह रहे हैं कि वह जैविक नहीं है, वह एक अवतार है। बिहार में हमारा गढ़वाल को सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य कारोंपों से उनको एक हफ्ते की अंतरिम जमानत बाली याचिका पर फैसला देने से मना कर दिया है। हालांकि, इसके लिए सीएम के जरीवाल ने 27 मई यानी सोमवार को शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें दो गई अंतरिम जमानत की अवधि सात दिन बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। हालांकि, सीएम ने अपनी दलील में सुप्रीम कोर्ट से ये भी युहार लगाया कि उन्हें डायरेनोसिट टेस्ट सहित पीरीटी-सीटी स्क्रैन करने की जरूरत है और इस आधार पर उन्होंने 7 दिनों की राहत

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चिकित्सा आधार पर अंतिम जमानत सात दिन बढ़ाने की याचिका पर तकाल सुनवाई की अनुमति देने से इनकार कर दिया। अवकाश पीठ को कहा कि यह अंतिम होगा, यदि भारत ने अंतरिम जमानत में योग्यता की अवधिकार करते हुए अदालत में इंडी के अधिवक्ता को 10 जून से पूर्व विध पत्र दायर करने का कहा। अब इस मामले को अगले 29 जून को अदालत में पेश होने के लिए बुलाया है। दिल्ली की राजक एवेन्यू कोर्ट ने उत्तराखण्ड नीति मामले से सबूत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के खिलाफ दायर मानवानि के मुकदमे को स्वीकार कर दिया। कोर्ट ने दिल्ली की सुनवाई को होने वाली राजक एवेन्यू कोर्ट के लिए बुलाया है। एसडीए की राजक एवेन्यू कोर्ट ने उत्तराखण्ड नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा निर्देश दायर कर दिया था। प्रार्थी हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय (इडी) द्वारा उनके खिलाफ जर्मीन कब्जे का जो आरोप लगाया गया है, वह पूरी तरह से छूट पर आधारित है। बेरुनियाद है। बड़गांड की 8.86 एकड़ जमीन धूर्ही प्रकृति के लिए जर्मीन है। उक्त जमीन को द्रांसफर नहीं किया जा सकता है। जमीन का मालिकाना अधिकार भी उनके पास नहीं है और न ही जमीन के किसी दस्तावेज में उनका नाम है।

हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 10 जून को

रांची। बड़गांड अंचल की 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर ज्ञानखण्ड हाइकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। ये सुनवाई न्यायमूर्ति रंगन मुख्याध्याय की अदालत में हुई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत में इंडी के अधिवक्ता को 10 जून से पूर्व विध पत्र दायर करने का कहा। अब इस मामले को अगले 29 जून को अदालत में पेश होने के लिए बुलाया है। दिल्ली की राजक एवेन्यू कोर्ट ने उत्तराखण्ड नीति मामले से सबूत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानवानि के मुकदमे को स्वीकार कर दिया था। प्रार्थी हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में कहा है कि यह जैविक नहीं है, वह एक अवतार है। बिहार में हमारा गढ़वाल को सुप्रीम कोर्ट ने स्वास्थ्य कारोंपों से उनको एक हफ्ते की अंतरिम जमानत बाली याचिका पर फैसला देने से मना कर दिया है। हालांकि, इसके लिए सीएम के जरीवाल ने 27 मई यानी सोमवार को शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें दो गई अंतरिम जमानत की अवधि लंबी करते इस बात का प्रमाण है कि प्रवर्तन की रुख चल रही है। लालू, प्रसाद यादव ने अपनी दलील में सुप्रीम कोर्ट से ये भी युहार लगाया कि उन्हें डायरेनोसिट टेस्ट सहित पीरीटी-सीटी स्क्रैन करने की जरूरत है और इस आधार पर उन्होंने 7 दिनों की राहत हालांकि, इसके लिए बुलाया जा रहा है। उक्त जमीन को द्रांसफर नहीं किया जा सकता है। जमीन का मालिकाना अधिकार भी उनके पास नहीं है और न ही जमीन के किसी दस्तावेज में उनका नाम है।

केजरीवाल सरकार के मंत्री आतिशी को कोर्ट ने भेजा समन

नईदिल्ली। दिल्ली की राजक एवेन्यू कोर्ट के एसीएमएम पर दिल्ली भाजपा के मीडिया विभाग के प्रमुख प्रवीन शंकर कपूर द्वारा दिल्ली की मंत्री आतिशी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानवानि के मुकदमे को स्वीकार कर दिया। कोर्ट ने दिल्ली की सुनवाई को होने वाली राजक एवेन्यू कोर्ट के लिए बुलाया है। एसडीए की राजक एवेन्यू कोर्ट ने उत्तराखण्ड नीति मामले से सबूत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानवानि के मुकदमे को स्वीकार कर दिया था। प्रार्थी हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में कहा है कि यह जैविक नहीं है, वह एक अवतार है। अदालत ने आरोपी हेमंत सोरेन को आज राजक एवेन्यू कोर्ट के लिए बुलाया है। एसडीए की राजक एवेन्यू कोर्ट ने उत्तराखण्ड नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानवानि के मुकदमे को स्वीकार कर दिया था। प्रार्थी हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में कहा है कि यह जैविक नहीं है, वह एक अवतार है। अदालत ने आरोपी हेमंत सोरेन को आज राजक एवेन्यू कोर्ट के लिए बुलाया है। एसडीए की राजक एवेन्यू कोर्ट ने उत्तराखण्ड नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानवानि के मुकदमे को स्वीकार कर दिया था। प्रार्थी हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में कहा है कि यह जैविक नहीं है, वह एक अवतार है। अदालत ने आरोपी हेमंत सोरेन को आज राजक एवेन्यू कोर्ट के लिए बुलाया है। एसडीए की राजक एवेन्यू कोर्ट ने उत्तराखण्ड नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानवानि के मुकदमे को स्वीकार कर दिया था। प्रार्थी हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में कहा है कि यह जैविक नहीं है, वह एक अवतार है। अदालत ने आरोपी हेमंत सोरेन को आज राजक एवेन्यू कोर्ट के लिए बुलाया है। एसडीए की राजक एवेन्यू कोर्ट ने उत्तराखण्ड नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानवानि के मुकदमे को स्वीकार कर दिया था। प्रार्थी हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में कहा है कि यह जैविक नहीं है, वह एक अवतार है। अदालत ने आरोपी हेमंत सोरेन को आज राजक एवेन्यू कोर्ट के लिए बुलाया है। एसडीए की राजक एवेन्यू कोर्ट ने उत्तराखण्ड नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानवानि के मुकदमे को स्वीकार कर दिया था। प्रार्थी हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में कहा है कि यह जैविक नहीं है, वह एक अवतार है। अदालत ने आरोपी हेमंत सोरेन को आज राजक एवेन्यू कोर्ट के लिए बुलाया है। एसडीए की राजक एवेन्यू कोर्ट ने उत्तराखण्ड नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानवानि के मुकदमे को स्वीकार कर दिया था। प्रार्थी हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में कहा है कि यह जैविक नहीं है, वह एक अवतार है। अदालत ने आरोपी हेमंत सोरेन को आज राजक एवेन्यू कोर्ट के लिए बुलाया है। एसडीए की राजक एवेन्यू कोर्ट ने उत्तराखण्ड नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानवानि के मुकदमे को स्वीकार कर दिया था। प्रार्थी हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में कहा है कि यह जैविक नहीं है, वह एक अवतार है। अदालत ने आरोपी हेमंत सोरेन को आज राजक एवेन्यू कोर्ट के लिए बुलाया है। एसडीए की राजक एवेन्यू कोर्ट ने उत्तराखण्ड नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानवानि के मुकदमे को स्वीकार कर दिया था। प्रार्थी हेमंत सोरेन ने अपनी याचिका में कहा है कि यह जैविक नहीं है, वह एक अवतार है। अदालत ने आरोपी हेमंत सोरेन को आज राजक एवेन्यू कोर्ट के लिए बुलाया है। एसडीए की राजक एवेन्यू कोर्ट ने उत्तराखण्ड नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानवानि के मुकदमे को स्वीक

